**Regional Language as Official Language**

1375. **Shri Kolla Venkaiah:**
**Shri M. N. Swamy:**
**Shri Laxmi Dass:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the States which have not yet adopted the regional languages as their official language;

(b) the steps taken by the Centre to hasten the replacement of foreign language by the regional language in in all official matters; and

(c) the reasons for the continuation of the foreign language as the regional language of those States?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Andhra Pradesh, Kerala and Nagaland.

(b) Under Article 345 of the Constitution, it is the Legislature of a State which may by law adopt any one or more of the languages in use in the State, or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

(c) Government of Andhra Pradesh propose to bring forward legislation shortly for adopting the regional language for being used for the official purposes of the State. This matter would be considered by Kerala Government when a legislature starts functioning there. English is being continued as the official language in Nagaland.

**मुस्लिम मजलिसे मुशावरत**

1376. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री बड़े :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में मुस्लिम मजलिसे मुशावरत नाम की एक साम्प्रदायिक संस्था बनाई गई है ;

(ख) क्या इस संस्था का संस्थापक एक संसद सदस्य है;

(ग) क्या उन्होंने इस संस्था की स्थापना के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :** (क) सरकार को मजलिसे मशावरत के बनाये जाने का पता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसी अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती ।

(घ) यदि कभी जरूरत पड़ी तो यथासमय कार्यवाही की जायगी।

**दिल्ली में नृत्य प्रशिक्षण शालाएं**

1377. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**
**श्री युद्धवीर सिंह :**
**श्री बड़े :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में बहुत सी नृत्य प्रशिक्षण शालाएं भ्रष्टाचार की केन्द्र बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी नृत्य प्रशिक्षण शालाओं की संख्या कितनी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) और (ख). वर्ष 1965 के दौरान दिल्ली पुलिस को 14 व्यक्तियों के खिलाफ 3 शिकायतें प्राप्त हुई। ये व्यक्ति नृत्य प्रशिक्षणशालाओं के मालिक अथवा कर्मचारी थे। इन शिकायतों की जांच की गई और जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गई थीं उन पर स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पणन अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

(ग) 3

**दिल्ली की ईदगाह की मर्यादा भंग**

1378. **श्री बड़े :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा जब्त की गई अंग्रेजी की पुस्तक "दिल्ली ईदगाह की मर्यादा भंग" (सेक्रिलीज आफ दिल्ली ईदगाह") का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इसी प्रकार की कोई अन्य पुस्तक भी जब्त की गई है; और

(ख) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर)** :(क) "दिल्ली ईदगाह की मर्यादा भंग" नामक पुस्तिका अमीर मजलिसे अहरार इस्लाम के संस्थापक अध्यक्ष हाफिज अली बहादुर खान द्वारा जारी की गई थी। इसमें थाना सदर बाजार के इलाके में ईदगाह की जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने की बहुत कड़ी आलोचना की गई है। इस पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उकसाने पर गैर-मुस्लिमों द्वारा एसे कब्जों का अर्थ इस पवित्र स्थान की मर्यादा का भंग है जिस पर मुसलमानों को, जो अब दूसरे दर्जे के निवासी रह गए हैं, भारी रोष है। इस पुस्तिका का उद्देश्य जनता के एक वर्ग में भय अथवा शंका था। इसलिए यह पुस्तिका और इसकी प्रत्येक प्रति अथवा अनुवाद या उनका उद्धरण सरकार द्वारा जब्त घोषित कर दिया गया है और आगे से उसका वितरण, बिक्री या प्रसारण भी 1962 के भारत सुरक्षा नियमों के नियम 45 के अधीन निषिद्ध कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) हाफिज अली बहादुर खान के खिलाफ 1962 के भारत सुरक्षा नियमों के नियम 41 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया।

**मूर्तिचोरों का अन्तर्राज्यिक गिरोह**

1379. **श्री युद्धवीर सिंह :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री बड़े :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूर्तियां चुराने वालों का एक अन्तर्राज्यिक गिरोह हाल ही में दिल्ली में पकड़ा गया है ;

(ख) उस गिरोह में कितने व्यक्ति हैं और कितनी चोरियों का पता लगा है; और

(ग) अब तक कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।